भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1000

दिनांक 04 दिसम्बर, 2015 को उत्तर देने के लिए

एससीएसपी एवं टीएसपी

1000. डॉ. उदित राज:
श्री सदाशिव लोखंडे:
श्री रामसिंह राठवा:

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) और जनजाति उपयोजना (टीएसपी) के तहत पर्याप्त निधि आबंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत संस्वीकृत/उपयोग की गई/व्यय न की गई निधि सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसी अवधि के दौरान निधियों के अन्यत्र उपयोग सहित कतिपय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और दिशा-निर्देशों के उल्लंघन की घटनाओं की सूचना मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय के सदस्यों और समाज के अन्य सदस्यों के बीच विकास सूचकांकों के बीच अंतर को प्रभावी रूप से पाटने के लिए एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में कोई प्रभावी कानून लाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) एससीएसपी और टीएसपी की प्रभावी निगरानी के लिए स्थापित तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) – योजना मंत्रालय

तथा रक्षा राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों द्वारा अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के तहत योजना निधियों का आबंटन सरकार द्वारा समय-

समय पर जारी दिशानिर्देशों द्वारा निर्देशित होता है जिनमें यह अपेक्षित है कि संबंधित सरकार क्रमश: अनु.जा. और अनु.ज.जा. की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार एससीएसपी और टीएसपी हेतु निधियों का आबंटन करे।

(ख) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों हेतु पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एससीएसपी और टीएसपी के तहत निधियों का ब्यौरा व्यय बजट खंड-I के विवरण 21 और 21-क में उपलब्ध है। एससीएसपी और टीएसपी के संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्रमश: अनुलग्नक-I और II में दिया गया है।

(ग) अनुलग्नक-I और II में यह देखा जा सकता है कि कुछ राज्यों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के भाग के अनुपात में एससीएसपी और टीएसपी के लिए निधियों का आबंटन नहीं किया गया था। उद्दिष्ट निधियों का उपयोग भी पूरी तरह नहीं किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्यों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को आखिरी बार 18 जून, 2014 को जारी किए गए थे जिसमें एससीएसपी और टीएसपी के उचित कार्यान्वयन को दोहराया गया था।

(घ) पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हो जाने से यह जिम्मेवारी मुख्य रूप से, एससीएसपी और टीएसपी के लिए क्रमश: संबंधित मंत्रालयों अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की होगी।

(ङ) केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को 11 फरवरी, 2014 को जारी किए गए अतिरिक्त दिशानिर्देशों और राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों को 18 जून, 2014 को जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों में एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण के लिए उचित संस्थागत तंत्र के सृजन की परिकल्पना की गई है। केन्द्र के मंत्रालय अर्थात् सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों के अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभागों को एससीएसपी और टीएसपी के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। नीति आयोग को भी विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के अनुवीक्षण और समीक्षा करने का कार्य दिया गया है।

*****

=

अनुलग्नक-I

अनुलग्नक एससीएसपी औरटीएसपी से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1000 दिनांक 04.12.2015 के उत्तर से संदर्भित है।

वार्षिक योजना 2012-13, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान एससीएसपी परिव्यय/व्यय

(करोड़ रु.)

क्रम सं..	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	अ.जा. जनसंख्या का प्रतिशत (जनगणना 2011)	वार्षिक योजना 2012-13					वार्षिक योजना 2013-14					वार्षिक योजना 2014-15					वार्षिक योजना 2015-16		
			कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (4 से 5 तक)	एससीएसपी वास्तविक व्यय	प्रतिशत (5 से 7 तक)	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (9 से 10 तक)	एससीएसपी वास्तविक व्यय	प्रतिशत (10 से 12 तक)	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (14 से 15 तक)	एससीएसपी प्रत्याशित व्यय	प्रतिशत (15 से 16 तक)	कुल राज्य योजना परिव्यय	एससीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (19 से 20 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आंध्र प्रदेश	16.41	48935	8378.18	17.12	4527.79	54.04	53000	8584.83	16.2	4900.21	57.08	26672.8	4280	16.05	3475.04	81.19	34412.47	5470.13	15.9
2	असम	7.15	10500	191	1.82	153.03	80.12	12500	217.81	1.74	175.82	80.72	14029	236.4	1.69	एनआर		15278.01	एनआर	
3	बिहार	15.91	28000	5446.17	19.45	3957.38	72.66	34000	6260.36	18.41	5347.6	85.42	5429.58	4209.4	77.53	एनआर		एनआर	एनआर	
4	छत्तीसगढ़	12.82	23480	2219.2	9.45	1875.77	84.52	25250	2811	11.13	2004.93	71.32	26615	3185.71	11.97	एनआर		एनआर	एनआर	
5	गोवा	1.74	2884.29	36.45	1.26	5.12	14.05	2830.85	36.54	1.29	10.78	29.5	2924.03	32.27	1.1	10.72	33.22	4129.73	34.88	0.84
6	गुजरात	6.74	50599	2849.32	5.63	2440.93	85.67	58500	2637.41	4.51	2182.42	82.75	71330.44	3473.87		2683.43	77.25	79295.11	3915.22	4.94
7	हरियाणा	20.17	14500	2843.34	19.61	2187.18	76.92	18000	3782.6	21.01	2401.65	63.49	21327.66	4215.21	19.76	3374	80.04	25745.65	4448.94	17.28
8	हिमाचल प्रदेश	25.19	3700	914.64	24.72	एनआर		4100	1013.52	24.72	953.46	94.07	4400	1032.8	23.47	981.39	95.02	एनआर	एनआर	
9	जम्मू और कश्मीर	7.38	7300	732.14	10.03	एनआर		7300	541.05	7.41	एनआर		एनआर	एनआर		एनआर		एनआर	एनआर	
10	झारखंड	12.08	16300	1714.53	10.52	943.87	55.05	16800	1885.34	11.22	1049.68	55.68	26250	2559.53	9.75	एनआर		एनआर	एनआर	
11	कर्नाटक	17.15	42030.01	5125	12.19	4181.78	81.6	47000	5823.88	12.39	5253.31	90.2	65599.78	11518.73	17.56	एनआर		एनआर	11773.54	
12	केरल	9.1	14010	1452.91	10.37	1360.26	93.62	17000	1667.7	9.81	1791.87	107.45	20000	1962	9.81	1511.93	77.06	20000	1968.5	9.84
13	मध्य प्रदेश	15.62	28000	4284	15.3	3944.64	92.08	35500	4899	13.8	4360.15	89	53512.64	8378.5	15.66	एनआर		एनआर	एनआर	
14	महाराष्ट्र	11.81	45000	4590	10.2	3939.23	85.82	49000	4997.68	10.2	3799.48	76.02	51222.54	6044.26	11.8	एनआर		एनआर	एनआर	
15	मणिपुर	3.78	3500	79.71	2.28	81.23	101.91	3650	88.61	2.43	91.2	102.92	4520.48	224.38	4.96	एनआर		एनआर	एनआर	
16	ओडिशा	17.13	18839.17	2847.8	15.12	2423.91	85.12	24035.12	3992.79	16.61	3507.88	87.86	37529.28	5335.49	14.22	4053.43	75.97	44150	7108.24	16.1
17	पंजाब	31.94	14000	4039	28.85	2725.65	67.48	16125	4653	28.86	3371.74	72.46	20099.83	6432	32	एनआर		एनआर	एनआर	
18	राजस्थान	17.83	37382.13	6286.64	16.82	4936.49	78.52	42498.81	7203.36	16.95	6906.2	95.87	66064.52	11244.1	17.02	8399.9	74.7	71405.78	12785.19	17.9
19	सिक्किम	4.63	1877	35.05	1.87	27.95	79.74	2060	एनआर		एनआर		3905	एनआर		एनआर		एनआर	एनआर	

20	तमिलनाडु	20.01	28000	6108.61	21.82	5405.12	88.48	37000	7477	20.21	7430.79	99.38	42185	10001	23.71	9062.72	90.62	55100	11274.16	20.46
21	तेलंगाना												48648.47	7579.45	15.58	2936.26	38.74	52374.55	8089.24	15.44
22	त्रिपुरा	17.83	2250	352.95	15.69	352.95	100	3100.78	एनआर		एनआर		3125		0	एनआर		एनआर	एनआर	
23	उत्तर प्रदेश	20.7	57800	12223	21.15	8822.52	72.18	69200	14633.5	21.15	7625.41	52.11	113500	24005.25	21.15	एनआर		एनआर	एनआर	
24	उत्तराखंड	18.76	8200	1476	18	686.9	46.54	8500	1530	18	614.9	40.19	10600	2014	19	एनआर		1282.74	एनआर	
25	पश्चिम बंगाल	23.51	28000	5966.69	21.31	4419.77	74.07	30314	6987.37	23.05	6987.37	100	46290.35	10669.92	23.05	एनआर		एनआर	एनआर	
26	चण्डीगढ़	18.86	737.23	131.43	17.83	एनआर		876.05	154.65	17.65	154.65		एनआर	एनआर		एनआर		एनआर	एनआर	
27	दमन और दीव	0.02	568.25	17.38	3.06	13.91	80.03	630	19.59	3.11	19.59	100	1171.7	150	12.8	एनआर		एनआर	एनआर	
28	दिल्ली	16.75	15000	2760.46	18.4	2729.58	98.88	14700	3003.25	20.43	2737.13	91.14	15450	2797.25	18.11	एनआर		एनआर	एनआर	
29	पांडिचेरी	15.73	3000	485.7	16.19	117.56	24.2	2000	314.6	15.73	277.74	88.28	2400	262	10.92	249.59		2700	339.65	
	स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र और राज्य सरकारों के एससीएसपी दस्तावेज																			
		एन आर: सूचित नहीं किया गया।																		

															अनुलग्नक-II					
		अनुलग्नक एससीएसपी और टीएसपी से संबंधित लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1000 दिनांक 04.12.2015 के उत्तर से संदर्भित है।																		
वार्षिक योजना 2011-12 से और 2015-16 तक के दौरान टीएसपी परिव्यय/व्यय																				
(करोड़ रु.)																				
क्रम सं.	राज्य/संघराज्य क्षेत्र	अ.ज.जा. जनसंख्या का प्रतिशत (जनगणना 2011)	वार्षिक योजना 2012-13					वार्षिक योजना 2013-14					वार्षिक योजना 2014-15					वार्षिक योजना 2015-16		
			कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (4 से 5 तक)	टीएसपी वास्तविक व्यय	प्रतिशत (5 से 7 तक	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (9 से 10 तक)	टीएसपी वास्तविक व्यय	प्रतिशत (10 से 12 तक)	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (14 से 15 तक)	प्रत्याशित परिव्यय	प्रतिशत (15 से 17 तक)	कुल राज्य योजना परिव्यय	टीएसपी परिव्यय	प्रतिशत (19 से 20 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	आंध्र प्रदेश	7	48935	3591.39	7.34	2241.76	62.42	53000	3666.6	6.92	2215.4	60.42	26672.86	1500.26	5.62	एनआर		34412.47	1904.48	5.53
2	असम #	12.45	10500	72.46	0.69	65.5	90.39	12500	82	0.66	72.55	88.48	14029	90.2	0.64	एनआर		15278.01		
3	बिहार	1.28	28000	393.86	1.41	281.63	71.51	34000	485	1.43	434.52	89.59	40100	508.8	1.27	एनआर		एनआर	एनआर	
4	छत्तीसगढ़	30.62	23480	7356	31.33	6177.65	83.98	25250	7952.17	31.49	6946.97	87.36	26615	9518.57	35.76	एनआर		एनआर	एनआर	
5	गोवा	10.23	4700	566.42	12.05	92.19	16.28	4715	614.47	13.03	187.08	30.45	4520.48	328.63	7.27	एनआर		एनआर	एनआर	
6	गुजरात	14.75	51000	6682.41	13.1	6471.99	96.85	59000	7236.6	12.27	6443.33	89.04	71500	9038.54	12.64	7536.1	83.38	79295	9690.53	12.22
7	हिमाचल प्रदेश	5.71	3700	333	9	331.71	99.61	4100	369	9	361.28	97.91	4400	395.47	8.99	395.47	100	4800	432	9
8	जम्मू और कश्मीर	11.91	7300	1254.77	17.19	एनआर		7300	1113.55	15.25	एनआर		एनआर	एनआर		एनआर		एनआर	एनआर	
9	झारखंड	26.21	16300	8199.4	50.3	4458.06	54.37	16800	8474.6	50.44	5102.97	60.21	26250	11680.29	44.5	एनआर		एनआर	एनआर	
10	कर्नाटक	6.95	42030.01	2075	4.94	1679.79	80.95	47000	2354.7	5.01	2480.74	105.35	6559.78	4315.07	65.78	एनआर		एनआर	4582.72	
11	केरल	1.45	14010	325.15	2.32	325.15	100	17000	389.85	2.29	389.85	100	20000	600	3	एनआर		एनआर	एनआर	
12	मध्य प्रदेश	21.09	28000	6178.91	22.07	5930.89	95.99	35500	6800	19.15	6267.45	92.17	53512.64	12057.64	22.53	एनआर		एनआर	एनआर	
13	महाराष्ट्र	9.35	45000	4005	8.9	3273.97	81.75	49000	4360.48	8.9	3979.42	91.26	51222.54	4814.92	9.4	4090.21	84.95	54999	5170	9.4
14	मणिपुर	35.12	3500	1358.53	38.82	1566.9	115.34	3650	1376.28	37.71	1280.67	93.05	8671.43	3059.68	35.28	एनआर		एनआर	एनआर	
15	ओडिशा	22.85	18839.17	4464.68	23.7	3809.49	85.33	24035.12	5620.11	23.38	5099.56	90.74	37529.28	7884.5	21.01	5869.56	74.44	44150	9134.34	20.69
16	राजस्थान	13.48	33500	4321.19	12.9	3859.15	89.31	40500	5193.4	12.82	4809.55	92.61	69820.05	9178.1	13.15	एनआर		71405.78	9886.71	13.85
17	सिक्किम	33.8	1877	386.66	20.6	एनआर		2060	एनआर		एनआर		3905	एनआर		एनआर		एनआर	एनआर	
18	तमिलनाडु	1.1	28000	349.3	1.25	296.72	84.95	37000	489.48	1.32	439.77	89.84	42185	572.93	1.36	445.85	77.82	55100	657.76	1.19
19	तेलंगाना												26672.36	4559.81	17.1	एनआर		52374.55	5035.68	9.61
20	त्रिपुरा	31.76	2821.21	971.11	34.42	775.73	79.88	3100.78	923.26	29.78	716.83	77.64	2208.78	902.35	40.85	एनआर		2218.58	1841.06	82.98
21	उत्तर प्रदेश	0.57	57800	38	0.07	30.26	79.63	69200	41.5	0.06	18.69	45.04	113500	104.29	0.09	एनआर		एनआर	एनआर	

22	उत्तराखंड	2.89	8200	246.38	3	142.14	57.69	8500	255	3	177.2	69.49	10600	318	3	एनआर		एनआर	354.37	
23	पश्चिम बंगाल	5.8	28000	1658.52	5.92	एनआर		30314	2173.14	7.17	2173.14	100	46290.35	3136.41	6.78	एनआर		एनआर	एनआर	
24	अ. और नि. द्वीपसमूह	7.5	2870.66	293	10.21	173.04	59.06	5467.36	228.79	4.18	355.55	155.4	5821	240	4.12	175.77	73.24	एनआर	एनआर	
25	दमन और दीव	0.06	568.25	50.29	8.85	3.42	6.8	630.05	3.9	0.62	4.95	126.92	2070.07	11.24	0.54	एनआर		एनआर	एनआर	
	स्रोत: राज्य योजना अनुमोदन पत्र और टीएसपी डी#		एसटी स्वायत्तशासी परिषद् सहित (एपी 2012-13 और 2013-14 में 7 नम्बर)																
	नोट: तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2014-15 से पूर्ण वित्तीय बजट शुरू किया, इससे पूर्व वर्ष का ब्यौरा समावेशी है और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है।																		
	एन आर: सूचित नहीं किया गया।																		